न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर मु0 कोलायत
पीठासीन अधिकारी :— साँवरमल रैगर, आर.ए.एस.

वाद संख्या :— 42/2022

काशीराम पुत्र लाखाराम जाति कुम्हार साकिन चुहडीवाला धन्ना तहसील फाजिल्का जिला फिरोजपुर
————वादी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु. कोलायत
———— प्रतिवादी

दावा अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :—

1. श्री हरिकिशन उपाध्याय वकील वादी
2. राजपैरोकार उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत

— : निर्णय :—

दिनांक :— 19 सितंबर 2024

1. वादी ने एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ग्राम चुहडीवाला धन्ना तहसील फाजिल्का जिला फिरोजपुर का रहने वाला है एवं वादी का पैतृक गांव चुहडीवाला धन्ना तहसील फाजिल्का जिला फिरोजपुर है व वादी उक्त भूमि का पुश्तैनी खातेदार काश्तकार है। वादी को जरिये विरासतन ग्राम गोविन्दसर के खसरां नंबर 58/4 में 25 बीघा भूमि प्राप्त हुई है। उस वक्त वादी का घर का बोलचाल का नाम बलवीर था इसलिए जरिये विरासतन दर्ज होते समय उक्त बलवीर नाम दर्ज कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम काशीराम है। वादी की उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ग्राम गोविन्दसर के खसरा नंबर 58/4 में बलवीर के नाम से सहखाते में दर्ज है जबकि बलवीर एवं काशीराम दोनों एक ही व्यक्ति है एवं वादी का वास्तविक नाम काशीराम है व वादी के पहचान के समस्त कागजात भी काशीराम के नाम से बने हुए हैं।
2. सर्वप्रथम वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी पैरोकारराज उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है।
3. वादी के वकील ने वाद पत्र के सलंग्न वादी का शपथ पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति, ग्राम पंचायत चुहडीवाला धन्ना द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पैन कार्ड की छायाप्रति, बैंक डायरी की प्रतिलिपि, खसरा गिरदावरी की नकल, सरकारी सिनियर सैकेण्डरी स्कूल चुहडी वाला धना द्वारा जारी विवरण पत्र प्रस्तुत किए जो शामिल पत्रावली है।
4. प्रतिवादी राजपैरोकार उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत के जवाब के अनुसार ग्राम गोविन्दसर के खसरा नंबर 58 में 25 बीघा भूमि जरिये बैयनामा ना0सं0 61 से लाखाराम वल्द दरामराम, मोहनलाल, बलवीर पि. लाखाराम कौम कुम्हार सा0 चुहडीवाला धन्ना तहसील फाजिल्का जिला फिरोजपुर पंजाब खातेदार दर्ज रिकाड था जो कि लाखाराम के फौत होने पर जरिये विरासतन ना0सं0 208 से ग्राम गोविन्दसर के खसरां न0 58/4 की 25 बीघा भूमि कृष्ण कुमार, मोहनलाल, बलवीर पि0 लाखाराम कौम

(साँवरमल रैगर)
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
प्रथम बीकानेर मु. कोलायत

कुम्हार साकिन चुहडीवाला धन्ना, तह0 फाजिल्का जिला फिरोजपुर पंजाब खातेदार दर्ज हुआ। उक्त ना0सं0 61 व 208 की छायाप्रति एवं जवाब राजपैरोकार शामिल पत्रावली है।

5. वादी के विद्वान वकील की तरफ से प्रथम गवाह श्री कृष्णलाल पुत्र लाखाराम जाति कुम्हार निवासी चुहडीवाला धन्ना तहसील फाजिल्का जिला फिरोजपुर पंजाब पेश किया जिस पर गवाह ने बयान किए कि काशीराम पुत्र लाखाराम कुम्हार का सगा भाई एवं सहखातेदार है एवं ग्राम गोविन्दसर के खसरां नबर 58/4 की 25 बीघा भूमि में सहकाश्तकार है जिसके अनुसार ग्राम चुहडीवाला धन्ना के निवासी काशीराम पुत्र लाखाराम कुम्हार का बोलता नाम बलवीर है एवं इनका कागजातों में नाम काशीराम है तथा इनको गांव में बलवीर नाम से ही पुकारा जाता है तथा काशीराम एवं बलवीर एक ही व्यक्ति के नाम हैं एवं इस नाम के दो व्यक्ति नहीं है। बयान गवाह शामिल पत्रावली है।

6. वादी के विद्वान वकील की तरफ से द्वितीय गवाह श्री विनोद कुमार पुत्र काशीराम जाति कुम्हार निवासी चुहडीवाला धन्ना तहसील फाजिल्का जिला फिरोजपुर पेश किया जिस पर पर गवाह ने बयान किए कि मेरे पिता का नाम श्री काशीराम का बोलचाल का नाम बलवीर है एवं वास्तविक कागजातों में नाम काशीराम है। काशीराम एवं बलवीर एक ही व्यक्ति हैं। ग्राम गोविन्दसर की भूमि के खसरा नंबर 58/4 में इनके पिता बलवीर का नाम काशीराम किया जाता है तो इन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। बयान गवाह शामिल पत्रावली है।

7. वादी के विद्वान वकील की तरफ से तृतीय गवाह श्री रामलाल पुत्र किशनाराम कुम्हार निवासी गोविन्दसर जो कि वादी के काश्तकार ने पेश किया जिस पर पर गवाह ने बयान किए कि काशीराम एवं बलवीर एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं एवं इनका गोविन्दसर की भूमि में बलवीर की जगह काशीराम किया जाता है तो किसी प्रकार की को आपत्ति नहीं होगी। बयान ग्वाह शामिल पत्रावली है।

8. वादी के विद्वान वकील की तरफ से चतुर्थ ग्वाही स्वयं विद्वान वकील श्री बुधराम पुत्र पतराम विश्नोई निवासी बज्जू खालसा तहसील बज्जू जिला बीकानेर के अनुसार काशीराम उर्फ बलवीर कुम्हार एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। ग्राम गोविन्दसर के संयुक्त खाता नंबर 58/4 तादादी 25 बीघा में बलवीर के स्थान पर काशीराम नाम करने पर किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज होने पर मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। बयान ग्वाह शामिल पत्रावली है।

9. वाद पत्र, वाद पत्र के सलंग्न दस्तावेज, विद्वान वकील की तरफ से पेश गवाहों व पैरोकार राज के इकबालिया जवाब एवं वकील वादी की बहस का अवलोकन किया गया। मुताबिक वाद पत्र व पेरोकाराज के जवाब वाद पत्र अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वादी का नाम काशीराम ही है जो प्रस्तुत सबूतों से सिद्ध होता है। अतः वाद पत्र में निर्णय किया जाता है कि वादी काशीराम का सही नाम बलवीर न होकर काशीराम ही है। अतः बलवीर वल्द लाखाराम कौम कुम्हार साकिन चुहडीवाला धन्ना के स्थान पर काशीराम पुत्र लाखाराम कौम कुम्हार साकिन चुहडीवाला धन्ना तहसील फाजिल्का जिला फिरोजपुर पंजाब का संशोधन किया जाता है। उक्तानुसार अभिलेख में अंकन किया जावे। निर्णय की प्रति उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत को पालनार्थ भेजी जावे।

10. पत्रावली तदनुसार फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :— 19.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सॉवरमल रैगर)
आर.ए.एस.
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
(प्रथम), बीकानेर मु0 कोलायत